न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 91/2019

1. रणवीर पुत्र श्री जगमाल राम जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.)

– – वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. जगमाल राम पुत्र श्री श्योलाल जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मनोहरी देवी पुत्री श्री जगमाल राम जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. तुलछी देवी पुत्री श्री जगमाल राम जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. मैना देवी पुत्री श्री जगमाल राम जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. संयोजिता पुत्री श्री जगमाल राम जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

–– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 53, 88 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय जनवेजा	– – वादी
2.	श्री रोबिन गुम्बर	– – प्रतिवादी 1 ता 5
3.	पैरोकार राज	– – प्रतिवादी 6

दिनांक :–23.09.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहिने है। वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 20 एल एन पी का खाता संख्या 25 का मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है0 व इसी

चक के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 37 की 0.480 है0 कुल 3.010 है0 कृषि भूमि दर्ज कागज़ात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी को उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टेयर बारानी व मुरब्बा नम्बर 37 की 0.480 है0 भूमि बंटवारा में दी हुई है। जिस पर वादी घरू बंटवारानामा अनुसार काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की सगी बहिनें है, जो कि प्राकृतिक स्नेह वश उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उसने अपने हक का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। वादी अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 10.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। वादी को यही वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है तथा वादी को उसका हिस्सा नहीं देना चाहता है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को विक्रय आदि कर दिया तो वादी अपने हक वा हिस्सा से वंचित तो होगा तथा बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जाएगा, इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः –

1. यह कि वाके चक 20 एल एन पी का खाता संख्या 25 का मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है0 मे से किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 है0 भूमि व खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 37 की 0.480 है0 कुल 1.745 है0 भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.07.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसके तथ्यानुसार इस प्रकरण में गांव के मौजिज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को वाके चक 20 एल एन पी का खाता संख्या 25 का मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 है0 मे से किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक. भूमि व खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 37 की 0.480 हैक कुल 1.745 हैक. भूमि बंटवारा में दे दी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा प्राकृतिक स्नेहवश अपने हिस्सा का परित्याग वादी के हक में करती है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र डिक्री कर दिया जावे तथा उक्त रकबा का वादी को खातेदार घोषित कर, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा ऐतराज ना होगा।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा दिनांक 03.09.2019 को स्टेट जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार राज्य हितों को मध्या नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के कथनों का अवलोकन किया गया।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

—:: आदेश ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 20 एल एन पी का खाता संख्या 25 का मुरब्बा नम्बर 54 की कुल 2.530 हैक्टर में से किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक. भूमि व चक 20 एल एन पी के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

28 के मुरब्बा नम्बर 37 की 0.480 हैक्टर कुल 1.745 हैक. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर